ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ।।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Form No. 10 - ATM

Branch Code :
Application Sr.No.
Branch Office :

ATM APPLICATION FORM

Application No.

The Branch Manager,
Punjab & Sind Bank
....

Dear Sir,
I/We wish to apply for PSB ATM card. My/Our details are as under:

1. Title:Mr/Ms/Dr./Capt. etc.
l a:Name of the Customer:
First Name I Middle Name
Surname

2. Card Display Name(As to be embossed on the card)

3. Date of Birth

4. Residential Address:

City /Pin.

Tel. No. (with STD Code) /Mobile No;

5. Office Address

City /Pin.

Tel. No. (with STD Code)

6. Branch Name

7. Primary Account Type : SB/CD

8. Primary Account No.

9. Secondary Account Type: SB/CD.

10. Secondary Account No.

11. PAN/GIR No.

12. Declaration : I/We declare that the above information is correct. I/We authorize Bank to debit my Primary Account for all with drawls using the card and also to recover the Bank's charges/fees as applicable from time to time. Without any prejudice to above. I/We accept the Bank's lien on my/our all deposits, present and future, held in the above mentioned Primary Account. I/We undertake to maintain sufficient funds, excluding the minimum balance stipulated, in Primary account. .

I/We accept full responsibility for my/our PSB ATM Card and agree not to make claims against Punjab & Sind Bank in respect thereto.

(*In case of joint a/c, all holders should sign) (*Signature of the Customer)

(To be filled by the Issuing Branch)

The Details mentioned in the application form including signatures of the applicant and mode of operation of the Primary and Secondary account/s are verified and correct.

(Authorised Official) (Branch Manager)

Date :

PSB ATM Card No. issued Date of Issue

TERMS & CONDITIONS for issuing ATM card

a) The Card will be valid only for the transaction options as permitted by the bank from time to time at PSB Other ATMs.

b) The card is and will be the property of the bank at all times and shall be returned to the bank unconditionally and immediately on the Bank's demand. The card holder is to ensure the identity of the Bank's official before handling over the card.

c) The card is not transferable or assignable by the card holder under any circumstances.

d) The card holder must sign the card immediately on receipt.

e) The card holder must not permit any other person to use his card and should safe guard the card from misuse by retaining and preserving the card carefully under his personal custody and control all times.

f) The PIN is strictly confidential, non transferable and for personal use of the card holder only.

g) The PIN should not be disclosed to any third party, either to the Bank's staff or to any body else under any circumstances or by any means otherwise the card holder shall be liable for any damages caused to the bank arising from the card holder's failure to do so or from erroneous use of the card.

h) The card holder's primary account will be debited immediately with the amount of any withdrawal, transfer, or any other transactions effected by use of the card. The card holder must maintain sufficient balance in the accounts to meet any debit.

I) The card is valid up to the last day of the month of the year indicated on the card. The card holder hereby undertakes to destroy the card, when it expires.

j) The bank may from time to time, at its discretion tie-up with various agencies to offer various features on the ATM card. All these features shall be on best efforts basis only, and the bank does not guarantee the efficiency, usefulness of any of the products.

k) When requested by the Bank, the card holder shall provide any information relating to the matters that PSB deems necessary, card holder will also authorize PSB to verify the authenticity of the information furnished by whatever means or from whichever source deemed necessary, if the data is not provided or is found incorrect. PSB may at its discretion refuse renewal of the card or cancel the card forthwith.

l) Bank reserve the right to disclose customer's information to any court of competent jurisdiction, law enforcement agencies and other institution such information concerning the card holder's account as may be necessary or appropriate in connection to its participation in any Electronic fund transfer network.

m) The card holder will be responsible for transactions effected by the use of the card, whether authorized by the card holder or not and shall indemnify the Bank against any loss/damage caused by the unauthorized use of the card or related PIN, including any penal action arising therefrom on account of any violation of RBI guidelines or rules framed under any law being in force in India or any other country.

n) The card holder is not entitled to over draw the account. In case of mistake or due to any reason whatever cash is withdrawn without providing funds as stated above, to meet such withdrawls the card holder shall reimburse the bank such withdrawls in excess with interest @ applicable to ODs as per bank rules.

o) The ATM's record for withdrawls through card from ATM's by use of the card by the card holder shall be conclusive and binding on them for all purposes.

p) The bank is entitled to obtain a photocopy of ATM. card signed the card holder.

q) The card holder must not permit any other person to use his card and should safe guard the card from misuse by retaining and preserving the card carefully under his personal custody and control all the times.

r) The card holder will be responsible for transaction effected by the use of the card, whether authorized by the card holder or not and shall indemnify the bank against any loss/damage caused by unauthorized use of card or related PIN, including any penal action arising therefrom on account of any violation of RBI guidelines or rules framed under any law being in force in India or any other country.

General Rules:

a) The primary account of the card holder cannot bc closed/transferred to other branches of the bank during the currency of the card.

b) The bank will not be liable to,for failure to provide any services or to perform any obligation hereunder where such failure is attributable(whether directly or indirectly) to any malfunction of ATMs or the card, insufficiency of cash, failure of power etc.

c) The bank shall be entitled to terminate the ATM facility with immediate effect and card shall be returned upon the occurrence of any of the following events:

1. failure to adhere to or comply with the terms and conditions herein set-forth or
2. In the event of default under any agreement or commitment (contingent or otherwise) entered into with PSB,relating to transactions other than ATM: or
3. Card holder being adjudged as insolvent or on the card holder filing insolvency petition:or
4. Closure of the card holder's account or failure to maintain the minimum average balance: PSB reserve the right to add, to delete or vary any of the terms & conditions, policies, features and benefits without prior notice to the card holder.
5. On demise of the card holder.

d) The bank may at its discretion allow overdrawing the account not with standing inadequacy of funds. The card holder agrees that in the event of the account being overdrawn or showing debit balance, the Bank reserves the right to set of this amount against any credit balance lying in any of card holder's account without notice.

e) The bank will not be responsible for any cash loss after cash with drawl is completed by the card holder at ATM.

f) The issue and use of the card shall be subject to the rules regulation in force from time to time as issued by RBI/GOI and by PSB.

Signature of customer

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शाखा कोड :
शाखा कार्यालय :

फार्म संख्या 10 एटीएम

शाखा प्रबंधक,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

ए.टी.एम. आवेदन पत्र

आवेदन संख्या नं.

महोदय,
मैं/हम पी.एस.बी. ए.टी.एम. कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता हूँ/चाहते हैं। मेरा/हमारा विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1. शीर्षक: श्री/श्रीमति/कु:/डा:/...इत्यादि

अ. ग्राहक का नाम :

प्रथम | | | | | | | | | | | | | |

द्वितीय | | | | | | | | | | | | | |

उपनाम

कार्ड पर अंकित नाम

2. जन्म तिथि

3. निवास का पता

शहर

पिन

4. दूरभाष (एस.टी.डी. कोड सहित)

मोबाईल सं.

5. कार्यालय का पता

शहर

पिन

दूरभाष (एस.टी.डी.कोड सहित)

6. शाखा का नाम

7. प्रमुख खाते का प्रकार : बचत/चालू (SB/CD)

8. प्रमुख खाता संख्या

9. द्वितीय खाते का प्रकार : बचत/चालू (SB/CD)

10. द्वितीय खाता संख्या

11. पेन/जी.आई.आर.संख्या

12. उदघोषणा: मैं/हम घोषणा करता/करते हैं उपरोक्त वर्णित तथ्य पूर्णत: सत्य है। मैं/हम बैंक को पूर्ण अधिकार देते हैं कि क्रेडिट कार्ड द्वारा समय समय पर निकासित धनराशि एवं बैंक प्रभार/शुल्क, मेरे/हमारे मुख्य खाते से डेबिट कर ले। उपरोक्त पर, बिना किसी पूर्वाग्रह के, मेरे/हमारे सभी प्रकार के खातों (वर्तमान एवं भविष्य) पर बैंक का ग्रहणाधिकार उस मुख्य खाते पर स्वीकार करता/करते हैं। मैं/हम वचन देता/देतें है कि अपने मुख्य खाते में न्यूनतम राशि के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि शेष रखूंगा/रखेंगे।

मैं/हम अपने पी.एस.बी. ए.टी.एम. कार्ड के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायित्व स्वीकार करता/करते हैं एवं इस संदर्भ में पंजाब एण्ड सिंध बैंक पर किसी प्रकार का कोई दावा नही करूँगा/करेंगें।

(सयुंक्त खातों में सभी खाताधारक हस्ताक्षर करें) (ग्राहक/ग्राहकों के हस्ताक्षर)

(ए.टी.एम. कार्ड जारीकर्ता शाखा द्वारा प्रविष्टि)

आवेदक के हस्ताक्षरों सहित आवेदन पत्र में दिए गए विवरण, प्राथमिक तथा अन्य खातों के प्रचालन विधि को सत्यापित किया गया और ठीक पाया गया।

(अधिकृत अधिकारी)

दिनांक :

(शाखा प्रबंधक)

पी.एस.बी. द्वारा जारी ए.टी.एम. कार्ड संख्या :

नियम एवं शर्ते :

1. पीएसबी एटीएम कार्ड बैंक द्वारा समय समय पर लेन देनों संबंधी जारी विकल्पों के आधार पर ही वैध होगा।
2. कार्ड बैंक की सम्पत्ति है तथा रहेगी और बैंक की मांग पर बिना शर्त एवं मांग के वापिस किया जायेगा। कार्डधारक को कार्ड बैंक को वापित सौंपने से पहले बैंक के अधिकारी की पहचान सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
3. किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा न तो कार्ड अन्तरित या सुपुर्द किया जा सकता है।
4. कार्डधारक को कार्ड की प्राप्ति पर तुरन्त हस्ताक्षर कर लेने चाहिए।
5. कार्डधारक को किसी अन्य व्यक्ति को अपना कार्ड प्रयोग करने की अनुमति नही देनी चाहिए और दुरुपयोग से बचाने के लिए कार्ड को सुरक्षित रखना चाहिए एवं उसे हमेशा अपनी निजी सुरक्षा और नियंत्रण में रखना चाहिए।
6. पिन गोपनीय, अहस्तांतरणीय और कार्डधारक के केवल निजी प्रयोग हेतु है।
7. पिन किसी भी परिस्थिति में, ना ही अन्य किसी तरीक से तीसरी पार्टी न तो बैंक स्टाफ, किसी अन्य व्यक्ति को बताना चाहिए अन्यथा कार्डधारक की चूक के कारण या कार्ड के दुरुपयोग के कारण बैंक को हुई हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. कार्डधारक को अपने खाते में उपयुक्त धन शेष रखना चाहिए ताकि डेबिट किया जा सके। किसी भी आहरण, अंतरण या अन्य किसी संव्यवहार के लिए कार्ड के प्रयोग द्वारा प्रभावित राशि के लिए कार्डधारक का प्राथमिक खाता तुरन्त डेबिट कर दिया जाएगा।
9. कार्ड पर दिये गये वर्ष के महीने के अन्तिम दिन तक कार्ड वैध होगा। जब कार्ड की अवधि समाप्त हो जाए तो कार्डधारक को उसे नष्ट करने का अधिकार है।
10. बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार समय समय पर अन्य बाहरी एजेंसियों के साथ टाईअप कर सकता है जो एटीएम कार्ड की सुविधाऐं देती हों। यह सभी सुविधाऐं बेहतर सुविधा के अन्तर्गत होंगी और बैंक किसी भी उत्पाद की दक्षता, लाभदायकता की गारंटी नहीं देता।
11. बैंक द्वारा बज अपेक्षित हो, कार्डधारक को वह सभी संबंधित सूचना देनी होगी जो पीएसबी मांगेगा और कार्डधारक बैंक को उसके द्वारा दी गयी सूचना के अनुप्रमाणित करने के लिए भी प्राधिकृत करेगा कि उसने व सूचना कहाँ से और किस स्रोत से दी एवं उचित सूचना नही प्रदान की जाती है या गलत पायी जाती है तो पीएसबी अपने विवेकाधिकार से कार्ड के नवीनिकरण से मना कर सकता है या कार्ड को आगे के लिए रद्द कर सकता है।
12. बैंक को यह अधिकार है कि वह ग्राहक की संबंधित सूचना किसी कोर्ट के सक्षम जज, कानूनी एजेंसी और अन्य संस्था को दे सकता है जो कार्डधारक के खाते से संबंधित हो जो कि किसी इलैक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क के सहभागिता के लिए आवश्यक है।
13. कार्डधारक कार्ड के प्रयोग द्वारा प्रभावी संव्यवहारों के लिए उत्तरदायी होगा चाहे कार्डधारक द्वारा प्राधिकृत हो या नहीं और कार्ड या संबंधित पिन द्वारा अनिधिकृत प्रयोग से बैंक को हुई हानि/नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अतिक्रमण के आधार पर कोई कानूनी कार्यवाही हो या भारत में या अन्य किसी देश में इससे संबंधित कोई कानून बना हो।
14. कार्डधारक खाते से अधिविकर्ष पाने का हकदार नही है। किसी गल्ती या अन्य किसी कारण से यदि कार्डधारक खाते से नकदी निकाल लेता है तो कार्डधारक को बैंक को, बैंक नियमों के अनुसार अधिविकर्ष पर प्रचलित ब्याज दर के हिसाब से आहरित राशि की ब्याज सहित प्रतिपूर्ति करनी होगी।
15. एटीएम से कार्ड के प्रयोग से आहरित राशि एटीएम रिकार्ड मे रहेगी और उस पर सभी उद्देश्यों से बाध्य होगी।
16. कार्डधारक द्वारा हस्ताक्षरित एटीएम कार्ड की छायाप्रति प्राप्त करने का बैंक हक है।

साधारण नियम :

1. कार्ड की अवधि के दौरान कार्डधारक का प्राथमिक खाता न तो बन्द किया जायेगा और न ही उसे बैंक की अन्य शाखा में अंतरिक किया जायेगा।
2. बैंक किसी भी सेवा या बाध्यता को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नही होगा जहां ऐसी असमर्थता या एटीएम कार्ड का दुरुपयोग, नकदी की कमी, शक्तियों की असमर्थता आदि जानबूझकर (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) रूप से की गयी हो।
3. बैंक तत्काल प्रभाव से एटीएम सुविधा पापिस लेने का हकदार होगा और निम्नलिखित घटना होने की स्थिति में कार्ड वापिस ले लिया जायेगा:

   यहां दी गई नियम एवं शर्तो के अनुपालन या पालन की असमर्थता की स्थिति में।

   एटीएम के अतिरिक्त पीएसबी के साथ हुए किसी भी समझौते या प्रतिबद्धता (आकस्मिकता या अन्यथा) में चूक की स्थिति में।

   कार्डधारक यदि न्यायालय में दिवालिया की याचिका दायर करता है या न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाता है।

   कार्डधारक का खाता बंद होना या न्यूनतम औसत बैलेंस रखने में असमर्थता, पीएसबी को यह अधिकार है कि वह कार्डधारक को सूचित किए बिना किसी अन्य नियम एवं शर्त में भिन्नता, पालिसी, फीचर्स एवं किसी लाभ आदि को जोड़ या मिटा सकता है।

   कार्डधारक की मृत्यु पर।
4. बैंक अपने विवेकाधिकार से खाते में पर्याप्त राशि न होने की स्थिति में अधिविकर्ष की भी सुविधा दे सकता है। कार्डधारक अपनी सहमति देता है कि यदि उसका खाता अधिविकर्ष हो जाता है या उससे डेबिट बैलेंस दिखाता है तो बैंक का यह अधिकार है कि कार्डधारक के किसी भी खाते में यदि क्रेडिट बैलेंस है तो बिना नोटिस दिए उस खाते को डेबिट कर सकता है।
5. यदि कार्डधारक एटीएम से नकदी आहरण का कार्य पूर्ण कर लेता है, उसके बाद बैंक नकदी हानि के लिए जिम्मेदार नही होगा।
6. कार्ड का प्रयोग और जारी करना आरबीआई/जीओआई और पीएसबी के समय समय पर जारी नियम और विनियमों के आधार पर होगी।
7. कार्ड पर दिए गये वर्ष के महीने के अंतिम दिन तक कार्ड वैध रहेगा।

महत्वपूर्ण :

6. स्वीकार्य आहरण

   अधिकतम आहरण सीमा प्रतिदिन : रु. 15000/-

   अधिकतम आहरण संख्या प्रतिदिन : तीन
7. एटीएम कार्ड खो जाने पर कृपया सम्पर्क करे

   022-66443198/022-66443199

   एटीएम जारीकर्ता शाखा

(ग्राहक के हस्ताक्षर)